

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (सेवानिवृत्त) अलेसे-11/1253

दिनांक :- 11.3.20

कार्यालय आदेश

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(6)वित्त/नियम/98 दिनांक 24.05.2004 के अन्तर्गत निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 को 60 वर्ष की अधिवर्षिता आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 5 में अंकित जन्मतिथि के आधार पर कॉलम संख्या 6 में अंकित दिनांक से (मध्याह्न पश्चात्) राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र. सं.	लिंक नं.	मेरिट/बैच नं.	नाम सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 (सर्वश्री)	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	511	561/83	अश्विनी कुमार सोनी	27.02.1961	28.02.2021
2.	3751	166/92	ओम प्रकाश जागू	01.05.1960	30.04.2020

उपर्युक्त अंकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 में से राजकीय आवास में अधिवासित अधिकारियों के मामलों में आवंटी की सेवानिवृत्ति से दो माह के भीतर ही राजकीय आवास को रिक्त करना अनिवार्य है।

नोट:- सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी जिस विभाग से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, को निर्देशित किया जाता है कि वह संबंधित विभाग से राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 78 के नीचे दिए गए सेवानिवृत्ति आदेश के प्रारूप-6 वित्त (नियम) विभाग का परिपत्र क्रमांक प. 12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के बिन्दु 2 (1,2,3) की पूर्ति कर इस विभाग को भिजवायें।

(मुकुन्द सोहोनी)

निदेशक

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (सेवानिवृत्त) अलेसे-11/1253

दिनांक :- 11.3.20

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय
4. कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश के जारी होने के पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कोई विभागीय जांच लंबित/प्रस्तावित हो अथवा ऐसी स्थिति हो जो पेंशन को प्रभावित करती हो, तो अविलम्ब इसकी सूचना संबंधित पेंशन कार्यालय तथा इस विभाग को भिजवायें जिससे उचित कार्यवाही की जा सके।
5. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. उप निदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. श्री, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 कार्यालय
8. अलेसे-1/111/डीपीसी/ जांच शाखा/ कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन शाखा/ निजी पत्रावली/ गार्ड फाईल।

(भवानी सिंह मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)